INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

राजस्थान डीप्टी जेलर

राजस्थान लोक सेवा आयोग

भाग - 4

इतिहास + भूगोल + राजव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था (भारत)

प्रस्तावना

*प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "**राजस्थान डिप्टी जेलर**" को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है। ये नोट्स पाठकों को **राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा **"राजस्थान डिप्टी जेलर" की** परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे।*

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है। अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

WhatsApp करें - https://wa.link/cevyjl

Online Oder करें - https://shorturl.at/PvNx5

मूल्य :	**संस्करण : नवीनतम**

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
	भारत का इतिहास	
1.	प्रागैतिहासिक काल (प्राचीन काल)	1
2.	वैदिक संस्कृति	4
3.	बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं शैव धर्म	7
4.	महाजनपद काल	12
5.	मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल	13
6.	गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल	16
7.	प्राचीन भारत में कला एवं वास्तु	18
	मध्यकालीन भारत	
1.	अरबों का सिन्ध पर आक्रमण	33
2.	दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश	34
3.	बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य	43
4.	मुगल साम्राज्य (1526 – 1707 ई.)	46
5.	भक्ति एवं सूफी आंदोलन	53
	आधुनिक भारत का इतिहास	
1.	18 वीं शताब्दी के आसपास अंग्रेजों की राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ	56
2.	1857 ई. का विद्रोह (1857 की क्रांति से पूर्व के जन आंदोलन	62

3.	सामाजिक – धार्मिक सुधार आंदोलन (19 वीं सदी)	65
4.	राष्ट्रीय आंदोलन	69
5.	गाँधी युग	74
6.	क्रांतिकारी आंदोलन से आजादी तक	79
7.	स्वतंत्रता के आसपास का भारत	82
	भारत का भूगोल	
1.	सामान्य परिचय	85
2.	भौतिक विशेषताएं और प्रमुख भौतिक विभाजन	86
3.	नदियाँ एवं झीलें	91
4.	जलवायु	96
5.	प्राकृतिक वनस्पति	99
6.	भारत में मृदा	102
7.	कृषि और कृषि आधारित गतिविधियां	104
8.	खनिज एवं ऊर्जा संसाधन	110
9.	प्रमुख उद्योग और औद्योगिक विकास	121
10.	परिवहन एवं प्रमुख परिवहन गलियारे	127
	भारत का संविधान	
1.	संवैधानिक विकास	137
2.	संविधान सभा	139
3.	संविधान की प्रमुख विशेषताएं	141
4.	संविधान की प्रस्तावना	144
5.	मौलिक अधिकार	146

6.	राज्य के नीति निदेशक तत्व	149
7.	मौलिक कर्तव्य / मूल कर्तव्य	150
8.	संविधान संशोधन	152
9.	आपातकालीन उपबंध	157
10.	जनहित याचिका और न्यायिक समीक्षा	159
11.	केन्द्र- राज्य सम्बन्ध	163
12.	गठबंधन सरकारें	166
13.	राजनीतिक दल	169
14.	राष्ट्रपति	172
15.	उपराष्ट्रपति	187
16.	भारतीय संसद	188
17.	प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्	193
18.	सर्वोच्च न्यायालय	194
19.	राज्य विधान मंडल	196
20.	निर्वाचन आयोग	200
21.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	203
22.	योजना आयोग	204
23.	राष्ट्रीय विकास परिषद्	206
24.	केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)	206
25.	केंद्रीय सूचना आयोग	210
26.	लोकपाल	213
27.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)	215
28.	स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज	217

अर्थशास्त्र		
1.	अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणायें	221
2.	बजट एवं बजट निर्माण	224
3.	बैंकिंग	233
4.	सार्वजनिक वित्त (लोक वित्त)	248
5.	राष्ट्रीय आय	252
6.	संवृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान	258
7.	लेखांकन – अवधारणा, उपकरण एवं प्रशासन में उपयोग	260
8.	स्टॉक एक्सचेंज एवं शेयर बाजार	268
9.	राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियाँ	273
10.	सब्सिडी एवं लोक वितरण प्रणाली	274
11.	ई–कॉमर्स	279
12.	मुद्रास्फीति – अवधारणा, प्रभाव एवं नियंत्रण तंत्र	283
13.	भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र	288
14.	आर्थिक समस्याएं एवं सरकार की पहलें	292
15.	मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास	298
16.	गरीबी एवं बेरोजगारी	301
17.	केंद्र सरकार की योजनाएँ	308

भारत का इतिहास

अध्याय – I

प्रागैतिहासिक काल (प्राचीन काल)

❖ सिन्धु घाटी सभ्यता

- यह दक्षिण एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता थी ।
- इस सभ्यता को सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया।
- सबसे पहले 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी।
- सिन्धु घाटी सभ्यता को अन्य नामों से भी जानतें हैं ।
- सैंधव सभ्यता- जॉन मार्शल के द्वारा कहा गया
- सिन्धु सभ्यता - मार्टियर व्हीलर के द्वारा कहा गया।
- वृहत्तर सिन्धु सभ्यता – ए. आर-मुगल के द्वारा कहा।
- सरस्वती सभ्यता भी कहा गया ।
- मेलूहा सभ्यता भी कहा गया ।
- कांस्यकालीन सभ्यता भी कहा गया ।
- यह सभ्यता मिश्र एवं मेसोपोटामिया सभ्यताओं के समकालीन थी।
- इस सभ्यता का सर्वाधिक फैलाव घग्घर हाकरा नदी के किनारे हैं। अतः इसे सिन्धु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं ।
- 1902 में लॉर्ड कर्जन ने जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक बनाया।
- जॉन मार्शल को हड़प्पा व मोहनजोदड़ों की खुदाई का प्रभार सौंपा गया।
- 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन पर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की।
- 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ों की खोज की।
- हड़प्पा नामक पुरास्थल सिन्धु घाटी सभ्यता से सम्बद्ध है।
- 20 सितम्बर 1924 को जॉन मार्शल ने द इलस्ट्रेटेड लन्दन न्यूज' के माध्यम से इस सभ्यता की खोज की घोषणा की।

सिन्धु सभ्यता की प्रजातियाँ –

- प्रोटो-आस्ट्रेलायड - सबसे पहले आयी
- भूमध्यसागरीय - मोहनजोदड़ों की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक
- मंगोलियन – मोहनजोदड़ों से प्राप्त पुजारी की मूर्ति इसी प्रजाति की है ।
- अल्पाइन प्रजाति ।

सिन्धु सभ्यता की तिथि

- कार्बन 14 (C^{14}) - 2500 से 1750 ई.पू.
- ह्विलेर - 2500-1700 ई.पू.
- मार्शल - 3250-2750 ई.पू.

इस सभ्यता का विस्तार

- इस सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान और भारत में ही मिलता है।

पाकिस्तान में सिन्धु सभ्यता के स्थल

- सुत्कांगेडोर
- सोत्काकोह
- बालाकोट
- डाबर कोट

सुत्कांगेडोर- इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है जो दाश्क नदी के किनारे अवस्थित है। इसकी खोज ऑरेल स्टाइन ने की थी।

- सुत्कांगेडोर को हड़प्पा के व्यापार का चौराहा भी कहते है।

भारत में सिन्धु सभ्यता के स्थल,

- **हरियाणा**- राखीगढ़ी, सिसवल कुणाल, बनावली, मितायल, बालू
- **पंजाब** – कोटलानिहंग खान चक्र 86 बाड़ा, संघोल, टेर माजरा
  रोपड़ (रूपनगर) - स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद खोजा गया पहला स्थल
- **कश्मीर** - माण्डा
  चिनाब नदी के किनारे
  सभ्यता का उत्तरी स्थल
- **राजस्थान** - कालीबंगा, बालाथल
  तरखान वाला डेरा
- **उत्तर प्रदेश**- आलमगीरपुर
  सभ्यता का पूर्वी स्थल
  - माण्डी
  - बड़गाँव
  - हलास
  - सनौली
- **गुजरात**
  धौलावीरा, सुरकोटड़ा, देसलपुर रंगपुर, लोथल, रोजदिख्वी, तेलोद, नगवाड़ा, कुन्तासी, शिकारपुर, नागेश्वर, मेघम प्रभासपाटन भोगन्नार
- **महाराष्ट्र**- दैमाबाद
  सभ्यता की दक्षिणतम सीमा
  फैलाव- त्रिभुजाकार
  क्षेत्रफल- 1299600 वर्ग किलो मीटर

प्रमुख स्थल एवं विशेषताएँ

- **हड़प्पा**
  रावी नदी के किनारे पर स्थित इस स्थल की खोज दयाराम साहनी ने की थी । खोज - वर्ष 1921 में ।

उत्खनन-

- 1921-24 व 1924-25 में दयाराम साहनी द्वारा ।
- 1926-27 से 1933-34 तक माधव स्वरूप वत्स द्वारा
- 1946 में मार्टियर ह्वीलर द्वारा
- इसे 'तोरण द्वार का नगर तथा 'अर्द्ध औद्योगिक नगर' कहा जाता है।

- पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ों को इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। इन दोनों के बीच की दूरी 640 किलोमीटर है।
- 1826 में चार्ल्स मैसन ने यहाँ के एक टीले का उल्लेख किया, बाद में उसका नाम ह्वीलर ने MOUND-AB दिया।
- हड़प्पा के अन्य टीले का नाम MOUND-F है।
- हड़प्पा से प्राप्त कब्रिस्तान को R-37 नाम दिया।
- भारत में चाँदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं।
- यहाँ से प्राप्त समाधि को HR नाम दिया
- हड़प्पा के अवशेषों में दुर्ग, रक्षा प्राचीन निवास गृह चबूतरा, अन्नागार तथा ताम्बे की मानव आकृति महत्त्वपूर्ण हैं।

मोहनजोदड़ों

- सिन्धु नदी के तट पर मोहनजोदड़ों की खोज सन् 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। उत्खनन - राखलदास बनर्जी (1922-27)
  - मार्शल
  - जे.एच. मैके
  - जे.एफ. डेल्स
- मोहनजोदड़ों का नगर कच्ची ईटों के चबूतरे पर निर्मित था।
- मोहनजोदड़ों सिन्धी भाषा का शब्द, अर्थ- मृतकों का टीला मोहनजोदड़ों को स्तूपों का शहर भी कहा जाता है।
- बताया जाता है कि यह शहर बाढ़ के कारण सात बार उजड़ा एवं बसा।
- यहाँ से यूनीकॉर्न प्रतीक वाले चाँदी के दो सिक्के मिले हैं
- वस्त्र निर्माण का प्राचीन साक्ष्य यहाँ से मिलता है। कपास के प्रमाण - मेहरगढ़
- सुमेरियन नाव वाली मुहर यहाँ से मिली है।
- मोहनजोदड़ों की सबसे बड़ी इमारत संरचना यहाँ से प्राप्त अन्नागार है। (राजकीय भण्डारागार)
- यहाँ से एक 20 खम्भों वाला सभा भवन मिला है। मैके ने इसे 'बाजार' कहा है।
- बहुमंजिली इमारतों के साक्ष्य, पुरोहित आवास, पुरोहितों का विद्यालय, पुरोहित राजा की मूर्ति, कुम्भकारों की बस्ती के प्रमाण भी मोहनजोदड़ों से मिले हैं।
- मोहनजोदड़ों का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है।
- मूर्ति पूजा का आरम्भ पूर्व आर्य काल से माना जाता है।
- बड़ी संख्या में कुओं की प्राप्ति ।
- 8 कक्षों वाला विशाल स्नानागार भी यहीं से प्राप्त हुआ है।

कालीबंगा-

- कालीबंगा की खोज अमलानन्द घोष द्वारा गंगानगर में की गयी थी।
- सरस्वती नदी (वर्तमान घग्घर के तट पर)
- कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ में है।
- उत्खनन - बी.बी लाल, बी. के. थापड़ 1953 में
- कालीबंगा - काले रंग की चूड़ियाँ
- कालीबंगा - सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी
- कालीबंगा से एक साथ दो फसलों की बुवाई तथा जालीदार जुताई के साक्ष्य मिले हैं।
- कालीबंगा से प्राप्त दुर्ग दो भागों में बंटा हुआ- द्विभागीकरण है।
- सड़कों को पक्का बनाने का प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुआ है।
- युग्म शवाधान का साक्ष्य शवों का अन्तिम संस्कार की तीनों विधियों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं।
- मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींगयुक्त देवता की मुहर कालीबंगन से प्राप्त हुई है।
- भूकम्प आने के प्राचीनतम प्रमाण यहीं से प्राप्त हुए हैं।
- वृषभ की ताम्रमूर्ति भी कालीबंगा से प्राप्त हुई है।
- यहाँ से प्राप्त लेखयुक्त बर्तन से स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी।
- लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी।

चन्हूदड़ों -

- खोज एन. जी. मजूमदार
- उत्खनन मैके ने किया।
- सिन्धु सभ्यता का यह औद्योगिक शहर था।
- यहाँ मणिकारी, मुहर बनाने, भार-माप के बटखड़े बनाने का काम होता था।
- सिन्धु संस्कृति के बाद विकसित झूकर- झांगर संस्कृति के अवशेष यहाँ से ही मिले हैं।

लोथल

- खोज एस. आर. राव (रंग नाथ राव)1954 में की थी
  - लघु हड़प्पा
  - लघु मोहनजोदड़ों की संज्ञा दी गई है। और लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है।
- बन्दरगाह या जल भण्डार या गोदीबाड़ा यहाँ की सबसे महत्त्वपूर्ण खोज है।
- लोथल का बन्दरगाह ही सिन्धु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारती संरचना है।
- लोथल से वृत्ताकार या चतुर्भुजाकार आग्निवेदी पाई गई हैं।
- लोथल का मिश्र एवं मेसोपोटामिया के साथ सीधा व्यापार होता था।
- भारत में उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभाण्ड द्वितीय नगरीकरण के प्रारम्भ के प्रतीक माने जाते हैं।

धौलावीरा

- खोज जे.पी. जोशी द्वारा - (1967-68) में मनहर एवं मानसेहरा नदियों के बीच कादिर द्वीप पर की खोज की।
- धौलावीरा एक आयताकार नगर था। जो तीन भागों में विभक्त था।
- धौलावीरा से जल-प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुये हैं।
- भारत के विशालतम सिन्धु सभ्यता स्थल धौलावीरा तथा राखीगढ़ी है।

मध्यकालीन भारत

अध्याय – I

अरबों का सिन्ध पर आक्रमण

मुहम्मद बिन कासिम के प्रमुख अभियान

- देबल या दाभोल यहीं पर सर्वप्रथम कासिम ने जनिया लगाया।
- देबल के बाद कासिम ने नीरून, सेहवान एवं सिसम पर सफल आक्रमण किया।
- सिसम जीतने के बाद कासिम ने राबर जीता। राबर में दाहिर लड़ता हुआ मारा गया।
- उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी राजीबाई ने अरबों के खिलाफ मोर्चा संभाला। परन्तु, स्वयं को हारते देखकर उसने जौहर कर लिया।
- अलोर या अरोर ब्राह्मणवाद के बाद दाहिर की राजधानी अलोर को जीता गया। अरोर विजय ही सिन्ध विजय को पूर्णता प्रदान करता है।
- मुल्तान- अलोर विजय के बाद कासिम ने सिक्का एवं मुल्तान जीता।
- मुल्तान कासिम की अंतिम विजय थी। यहाँ से उसे इतना सारा सोना मिला की मुल्तान का नाम सोन का नगर (स्वर्ण नगर) रखा गया।
- मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब मुस्लिम था।

❖ **महमूद गजनवी -**

- भारत में तुर्कों का आक्रमण दो चरणों में सम्पन्न हुआ।
- प्रथम चरण का महमूद गजनवी तो दूसरे का मोहम्मद गौरी था।
- अरबों के बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया।
- तुर्क चीन की उत्तरी-पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली असभ्य एवं बर्बर जाति थी।
- अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी में स्वतन्त्र तुर्क राज्य की स्थापना की।
- अलप्तगीन के गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन ने 977 ई. में गजनी पर अपना अधिकार कर लिया।
- महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था।
- अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था।
- सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी महमूद गजनवी गजनी की गद्दी पर 998 ई. में बैठा।
- 1010 ई. में महमूद ने नगरकोट को लूटा तथा 1010 ई .में तलवाड़ी युद्ध में हिन्दुओं के संघ को परास्त किया।
- 1014 ई. में थानेश्वर के चक्रस्वामी मंदिर को लूटा।
- त्रिलोचनपाल एवं पंजाब के शाही शासक त्रिलोचनपाल के साथ मिलकर एक संघ का निर्माण किया था। इस संघ का प्रमुख विद्याधर था।
- विद्याधर ही वह चन्देल शासक था जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ और दोनों के बीच संधि हो गयी।
- 1025 ई. में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था।
- चालुक्य शासक भीम प्रथम था गजनवी के चले जाने के बाद इस मंदिर का पुनर्निमाण करवाया।
- 1030 ई .में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गयी।
- अलबरूनी तथा फिरदौसी (शाहनामा के लेखक) महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे।
- 'तारीख-ए-यामिनी' नामक पुस्तक का लेखक उतबी था।
- महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया।
- सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनी था। महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण करते समय जेहाद का नारा दिया और और अपना नाम बुतकिशन रखा।

❖ **मुहम्मद गौरी**

- मुहम्मद गौरी शंसबनी वंश का था।
- मुहम्मद गौरी का पूरा नाम शाहबुद्दीन मुहम्मद गौरी था।
- ग्यासुद्दीन मुहम्मद गौरी इसका बड़ा भाई था। ग्यासुद्दीन मुहम्मद गौरी ने 1163 ई. गोर को राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य स्थापित कराया।
- 1203 ई. में ग्यासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात् मोहम्मद गौरी ने एक स्वतंत्र शासक के रूप में मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की तथा गोर को राजधानी बनाया।
- मुहम्द बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी तथा उसके बाद मुहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तथा कत्लेआम कर लूटपाट मचाई।
- भारत में तुर्क साम्राज्य का श्रेय मुहम्द गौरी को दिया जाता है।
- 12 वीं शताब्दी के मध्य में गौरी वंश का उदय हुआ।
- गौरी वंश की नींव अलाउद्दीन जहांसोज ने रखी थी।
- जहाँ सोज की मृत्यु के बाद उसके पुत्र सैफ-उद-दीन गौरी के सिंहासन पर बैठा।

मुहम्द गौरी के आक्रमण

- गौरी ने प्रथम आक्रमण 1175 ई. में मुल्तान पर किया।
- गौरी ने 1178 ई. द्वितीय आक्रमण गुजरात पर किया लेकिन मूलराज द्वितीय ने उसे आबू पर्वत की तलहटी में पराजित किया। भारत में मुहम्मद गौरी की यह पहली पराजय थी।
- इस युद्ध का संचालन नायिका देवी ने किया था जो मूलराज की पत्नी थी।
- 1186 ई. तक गौरी ने लाहौर, श्यालकोट तथा भटिण्डा तबरहिंद को जीत लिया था। तब हिंद पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का अधिकार था।

तराईन का प्रथम युद्ध – 1191 ई.
तराईन का द्वितीय युद्ध – 1192 ई.

- तराईन का प्रथम युद्ध 1191 ई. में मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी।
- तराईन का दूसरा युद्ध 1192 ई. में मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इस युद्ध में गौरी की जीत हुई थी।
- चन्द्रबरदाई के अनुसार युद्ध में पराजय के बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण छोड़ कर मुहम्मद गौरी को मार दिया था।
- 1192 ई. के बाद गौरी ने अपने दास ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का प्रशासक घोषित कर दिया।
- 1194 ई. के बाद गौरी के दो सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक तथा बख्तियार खिलजी ने भारतीय क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ किया।
- बख्तियार खिलजी को असम के माघ शासक ने पराजित किया तथा 15 मार्च 1206 ई .में बख्तियार खिलजी के ही सैन्य अधिकारी अलिमर्दान ने मुहम्मद गौरी की हत्या कर दी।
- कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1195 ई. में अन्हिलवाड़ा के शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण किया लेकिन ऐबक पराजित हुआ।
- 1203 ई. में ऐबक ने चंदेल शासक परमर्दिदेव से कालिंजर को जीत लिया था।

मुहम्मद गौरी की मृत्यु

- 1206 ई. में मुहम्मद गौरी ने पंजाब के खोखर जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए भारत पर अंतिम आक्रमण किया।
- गौरी ने लक्ष्मी की आकृति वाले कुछ सिक्के चलाये।

अध्याय – 2

दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश

गुलाम वंश से लेकर लोदी वंश

दिल्ली सल्तनत

दिल्ली सल्तनत के क्रमानुसार पाँच वंश निम्नलिखित थे –

गुलाम वंश के शासक –

कुतुबुद्दीन ऐबक (1206-1210 ई. तक)

- भारत में तुर्की राज्य /दिल्ली सल्तनत /मुस्लिम राज्य की स्थापना करने वाला शासक ऐबक ही था।
- गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ई. में की थी। इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई।
- ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमुखी।
- ऐबक के राजवंश को कुतुबी राजवंश के नाम से जन जाता है।
- मुहम्मद गौरी ने ऐबक को अमीर-ए-आखूर अस्तबलों का प्रधान के पद पर नियुक्त किया।
- 1192 ई. के तराईन के युद्ध में ऐबक ने गौरी की सहायता की।
- तराईन के द्वितीय युद्ध के बाद गौरी ने ऐबक को अपने मुख्य भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया।
- जून 1206 में राज्याभिषेक करवाया तथा सुल्तान की बजाय मलिक/सिपहसालार की उपाधि धारण की यह उपाधि इसे मुहम्मद गौरी ने दी थी।
- इसने अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलाये एवं अपने नाम का खुतबा पढ़वाया (खुतबा एक रचना होती थी जो मौलवियों से सुल्तान शुक्रवार की रात को नजदीक की मस्जिद में अपनी प्रंशसा में पढ़वाते थे।)खुतबा शासक की संप्रभूता का सूचक होता था।
- ऐबक ने प्रारंभ इंद्रप्रस्थ में दिल्ली के पास को सैनिक मुख्यालय बनाया तथा कुछ समय बाद यल्दौज तथा कुबाचा (मुहम्मद गौरी के दास) के संघर्ष को देखते हुए लाहौर को अपनी राजधानी बनाया।
- ऐबक ने यल्दौज पर आक्रमण कर गजनी पर अधिकार कर लिया, लेकिन गजनी की जनता यल्दौज के प्रति वफादार थी तथा 40 दिनों के बाद ऐबक ने गजनी छोड़ दिया।

ऐबक की मृत्यु –

- 1210 ई. में लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण ऐबक की मौत हो गई। इसका मकबरा लाहौर में ही बनाया गया है।
- भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को मान जाता है।
- भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मुहम्मद गौरी को माना जाता है। स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है।

प्रमुख चैनल / जलडमरूमध्य	
विभाजित स्थल खण्ड	चैनल/खाड़ी/स्ट्रेट
इन्दिरा प्वाइंट-इण्डोनेशिया	ग्रेट चैनल
लघु अंडमान-निकोबार	10°चैनल
मिनीकॉय-लक्षद्वीप	9° चैनल
मालदीव-मिनीकाय	8° चैनल
भारत-श्रीलंका	मन्नार की खाड़ी
पाक की खाड़ी	पाक स्ट्रेट

- क्षेत्रफल की दृष्टि से अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा केन्द्र-शासित प्रदेश है।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केन्द्र-शासित प्रदेश है।
- जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केन्द्र शासित प्रदेश है।
- जनसंख्या की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केन्द्र शासित प्रदेश है।
- मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य है।
- मध्य प्रदेश में वन (जंगल) सबसे अधिक है।
- भारत में द्वीपों की कुल संख्या 248 है बंगाल की खाड़ी में 223 तथा अरब सागर में 25 द्वीप हैं।
- पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है।
- पश्चिमी घाट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है।
- उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों (8) को छूती है- उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड एवं बिहार।]
- भारत में सर्वाधिक नगरों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है जबकि मेघालय में सबसे कम नगर हैं।
- भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है जबकि सबसे कम नगरीय जनसंख्या सिक्किम में है।
- भारत में राष्ट्रीय राज मार्ग की कुल लम्बाई 1,42,126 लगभग किमी. है।
- भारत का सबसे लम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है जो बनारस से कन्याकुमारी तक जाता है (3,745 किमी.)।
- वर्ष 2020 में भारत में रेलमार्ग की कुल लम्बाई 67,956 किमी थी जबकि रनिंग ट्रैक लम्बाई सहित यह 99,235 किमी है। यार्ड, साइडिंग आदि मिलाकर कुल मार्ग 1,26,366 किमी है।
- तिरुअनन्तपुरम एवं कोचीन (केरल) नगरों में मानसून की सर्वप्रथम वर्षा होती है।

पड़ोसी देशों के मध्य सीमा विस्तार	
भारत-बांग्लादेश सीमा	4096 किमी.
भारत-चीन	3488 किमी.
भारत-पाक सीमा	3323 किमी.
भारत - नेपाल सीमा	1751 किमी.
भारत - म्यांमार सीमा	1643 किमी.
भारत - भूटान सीमा	699 किमी.
भारत – अफगानिस्तान	106 किमी. (वर्तमान में POK में स्थित है)

अध्याय – 2

भौतिक विशेषताएं और प्रमुख भौतिक विभाजन

- भारत की स्थलाकृति को पांच भागों में बाँटा जा सकता है।
  - उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र
  - प्रायद्वीपीय पठार
  - मध्यवर्ती विशाल मैदान
  - तटवर्ती मैदान
  - द्वीप समूह

पर्वत

1. उत्तर भारत का विशाल पर्वतीय क्षेत्र

- यह विश्व की सर्वोच्च पर्वतीय स्थलाकृति है, जिसका विस्तार भारत के पश्चिम से लेकर पूर्व तक है।
- इस पर्वतीय श्रेणी को तीन भागों में बाँटा जा सकता है।
  1. ट्रांस हिमालय श्रेणी
  2. हिमालय पर्वत श्रेणी
  3. पूर्वांचल की पहाड़ियों
- **ट्रांस हिमालय** का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था इसके अन्तर्गत काराकोरम लद्दाख कैलाश व जास्कर श्रेणी आती है।
- इन श्रेणियों पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है।
- काराकोरम श्रेणी - यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है।
- भारत की सबसे ऊंची चोटी k2 या गाडविन ऑस्टिन (8611 m) काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है।
  - यह विश्व की दूसरी सबसे ऊँची चोटी है।
  - काराकोरम दर्रा एवं इंदिरा कॉल इसी दर्रा में स्थित है
  - काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रृंखला पर स्थित कश्मीर को चीन से जोड़ने वाला संकीर्ण दर्रा है।
  - काराकोरम श्रृंखला पर भारत का सबसे लम्बा ग्लेशियर सियाचिन स्थित है।
  - विश्व का सबसे ऊँचा सैनिक अड्डा (सियाचिन) यहीं अवस्थित है।
  - काराकोरम श्रेणी पर चार प्रमुख हिमनद (ग्लेशियर) स्थित हैं।
    - सियाचिन (72 km)
    - बाल्टोरो - (58km)
    - बीयाफो – 63 km
    - हिस्पर (61 Km)

लद्दाख श्रेणी - विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोशी लद्दाख श्रेणी पर ही स्थित है।
- लद्दाख श्रेणी दक्षिण पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी के रूप में स्थित है। यह श्रेणी सिन्धु नदी व इसकी सहायक नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है।
- यह भारत का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है।
- इसका सर्वोच्च शिखर माउंट कैलाश है।

<u>लास्कर श्रेणी</u> - यह ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणीहै।

- नंगा पर्वत इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊँची चोटी है।
- लद्दाख व लास्कर श्रेणीयों के बीच से ही सिन्धु नदी बहती है।

I. <u>वृहत् या हिमाद्रि या महान हिमालय</u> - इसका विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक धनुष की आकृति में फैला हुआ है जिसकी कुल लम्बाई 2500 km तक है तथा औसत ऊँचाई 6100 मी॰ तक है। विश्व की सर्वाधिक ऊँची चोटियाँ इसी श्रेणी पर पाई जाती है जिसमें प्रमुख है-

- माउंट एवरेस्ट (8848 मी.) विश्व की सबसे ऊँची चोटी
- कंचनजंगा (8598 मी.)
- मकालू (8481 मी.)
- धौलागिरी (8172 मी.)
- अन्नपूर्णा (8076 मी.)
- नंदा देवी (7817 मी.)

- एवरेस्ट को पहले तिब्बत में 'चोमोलुगंमा'के नाम से जाना जाता था जिसका अर्थ 'पर्वतो की रानी'।
- हिमालय का निर्माण भारतीय सह – ऑस्ट्रलियाई प्लेट एवं यूरोशियाई प्लेट की अभिसरण प्रक्रिया से हुआ है ।
- एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरि, नंगा पर्वत , नामचा बरवा इसके महत्त्वपूर्ण शिखर हैं।
- भारत में हिमालय की सर्वोच्च ऊँची चोटी कंचनजंगा यही स्थित है।
- यह विश्व की तीसरी सबसे ऊँची चोटी है।

2. <u>लघु या मध्य हिमालय</u> –

- महान हिमालय के दक्षिण में तथा शिवालिक के उत्तर में इसका विस्तार है। इसकी सामान्य ऊँचाई 3700 से 4500 मी. है।
- इसके अन्तर्गत कई श्रेणियाँ पाई जाती हैं।
  - पीर पंजाल (जम्मू कश्मीर)
  - धौलाधार (हिमाचल प्रदेश)
  - नाग टिब्बा (उत्तराखंड)
  - कुमायूँ (उत्तराखंड)
  - महाभारत (नेपाल)
- लघु हिमालय तथा महान हिमालय के बीच कई घाटियों का निर्माण हुआ है ।
  - कश्मीर की घाटी (जम्मू कश्मीर)
  - कुल्लू - काँगड़ा घाटी (हिमाचल प्रदेश)
  - काठमांडू घाटी (नेपाल)
- लघु हिमालय अपने स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है जिसके अन्तर्गत शामिल है –
- कुल्लू, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला (हिमाचल प्रदेश) अल्मोड़ा, मसूरी, चमोली (उत्तराखंड)
- लघु हिमालय की श्रेणीयों की ढालों पर शीतोष्ण घास के मैदान पाये जाते है जिन्हे जम्मू-कश्मीर में मर्ग (गुलमर्ग, सोनमर्ग) व उत्तराखंड में 'बुग्याल व पयार' कहा जाता है।

<u>शिवालिक या बाह्य हिमालय</u>

- मध्य हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय की अवस्थिति को बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं ।
- यह लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है।
- शिवालिक और लघु हिमालय के बीच स्थित घाटियों को पश्चिम में दून (जैसे- देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून) व पूर्व में द्वार (जैसे- हरिद्वार) कहते हैं।
- शिवालिक को जम्मू कश्मीर में कश्मीर पहाड़ियाँ तथा अरूणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर व मिश्मी की पहाड़ियो के नाम से जाना जाता है।

चोस- (Chos)

- शिवालिक से पंजाब व हिमाचल प्रदेश में छोटी- छोटी धाराएँ निकलती हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में चोस कहा जाता है।
- ये धाराएँ शिवालिक का अपरदन कर देती हैं एवं शिवालिक को कई भागो बाँट देती हैं ।

करेवा

पीरपंजाल श्रेणी के निर्माण के समय कश्मीर घाटी में कुछ अस्थायी झीलों का निर्माण हुआ जो नदियों के द्वारा लेकर आए अवसाद के कारण ये झीलें अवसाद से भर गई । ऐसे उपजाऊ क्षेत्रों में जाफरन / केसर की खेती की जाती है जिन्हें करेवा कहा जाता है।

<u>ऋतु प्रवास</u>

जम्मू और कश्मीर में रहने वाली जनजातियों गुज्जर, बकरवाल, झुकिया, भूटिया इत्यादि मध्य हिमालय में बर्फ के पिछलने के उपरान्त निर्मित होने वाले घास के मैदानों में अपने पशुओं को चराने के लिए प्रवास करते हैं तथा ये पुनः सर्दियों के दिनों में मैदानी भागों में आ जाते हैं जिसे ऋतु प्रवास कहा जाता है।

<u>पूर्वांचल की पहाड़ियाँ</u>

पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हिमालय का ही विस्तार हैं
नामचा बरवा के निकट हिमालय अक्षसंधीय मोड़ के कारण दक्षिण की ओर मुड़ जाता है । पटकाईबुम, नागा, मणिपुर, लुशाई, या मिजो पहाड़ी आदि हिमालय का विस्तार बन जाता है यह पहाड़ियाँ भारत एवं म्यांमार सीमा पर स्थित हैं।

- नागा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी माउंट सरमाटी (3826 मीटर) है ।
- मिजो पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी ब्लू माउंट हैं
- पूर्वांचल की पहाड़िया काफी कटी - फटी हैं
- गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ी शिलांग के पठार पर अवस्थित हैं।
- पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारतीय मानसून को दिशा प्रदान करती हैं
- इस तरह यह पहाड़ियाँ जल विभाजक के साथ - साथ जलवायु विभाजक हैं

अध्याय – 8

खनिज एवं ऊर्जा संसाधन

खनिज संसाधन –

- खनिज से तात्पर्य प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थों से है जिसका निश्चित रासायनिक, भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक संगठन हो तथा उनको खनन उत्खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है साथ ही इन सभी का आर्थिक महत्त्व हो, खनिज संसाधन कहलाते हैं।

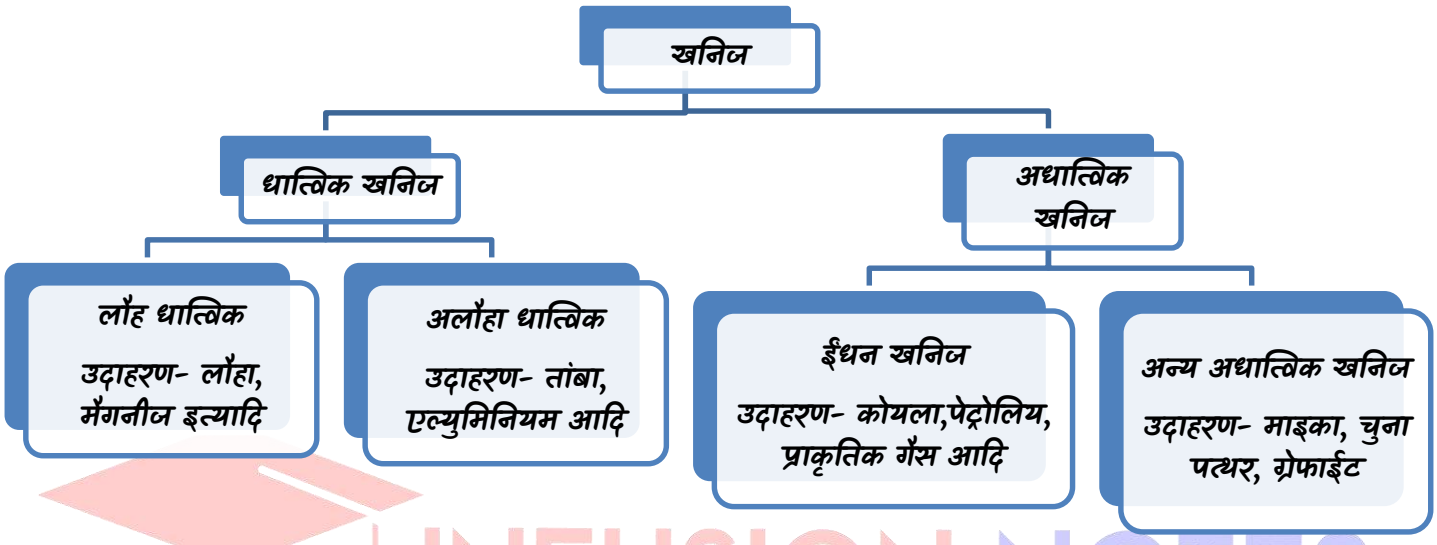

- **पृथ्वी की भी पर्पटी पर पाए जाने वाले प्रमुख खनिज निम्न हैं-**

खनिज	प्रतिशत
ऑक्सीजन	46.60
सिलिकन	27.72
एलुमिनियम	8.13
लौह	5.00
कैलशियम	3.63
सोडियम	2.83
पोटेशियम	2.59
मैंगनेशियम	2.09
अन्य	1.41

- भारत में आजादी के समय तक 22 प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता था लेकिन आज इनकी संख्या बढ़कर 125 हो गई है, इनमें से 35 खनिज आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। अभी तक मानव को लगभग 1600 प्रकार के खनिजों का ज्ञान हो चुका है।
- खनिजों की आत्मनिर्भरता की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम, भारत द्वितीय स्थान पर तथा रूस तृतीय स्थान पर है।

भारत में खनिजों का वितरण –

खनिज संसाधनों की मेखलायें (Belts of Mineral Resources)

भारत में खनिजों का वितरण समान नहीं हैं । भारत में पाये जाने वाले विविध प्रकार के खनिजों को उनके वितरण के अनुसार निम्न मेखलाओं में सीमाबद्ध किया जा सकताहै।

1. बिहार-झारखण्ड – उड़ीसा-पश्चिम बंगाल मेखला :

✓ यह मेखला छोटा नागपुर व समीपवर्ती क्षेत्रों में फैली हुई हैं। यह मेखला लौह अयस्क मैंगनीज, ताँबा, अभ्रक, चूना पत्थर, इल्मेनाइट, फॉस्फेट, बॉक्साइट आदि खनिजों की दृष्टि से धनी है । झारखण्ड खनिज उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख राज्य है ।

2. मध्यप्रदेश – छत्तीसगढ़ – आंध्रप्रदेश -महाराष्ट्र मेखला:

✓ इस मेखला में भी लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर, ऐस्बेस्टॉस, ग्रेफाइट, अभ्रक, सिलिका, हीरा आदि बहुलता से प्राप्त होते हैं।

3. कर्नाटक – तमिलनाडु मेखला :

✓ यह मेखला सोना, लिग्नाइट, लौह अयस्क, ताँबा, मैंगनीज, जिप्सम, नमक, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है।

(3) गुजरात

- ✓ यहाँ हाल्डार , खेड़ा , सांबरकाँटा , सूरत , जामनगर , भावनगर , पोरबन्दर आदि मुख्य उत्पादक जिले हैं ।
- ✓ राज्य में बॉक्साइट के कुल अनुमानित भण्डार 5 करोड़ टन हैं ।
- ✓ यहाँ बॉक्साइट की मात्रा 58 से 60 प्रतिशत पायी जाती है।

(4) महाराष्ट्र

- ✓ भारत में बॉक्साइट उत्पादन में यहाँ कोल्हापुर , कोलाबा , थाणे , रत्नागिरी , सतारा , पुणे , आदि प्रमुख उत्पादक जिले हैं ।
- ✓ महाराष्ट्र में बॉक्साइट के अनुमानित भण्डार 8 . 05 करोड़ टन हैं ।
- ✓ भारत में बॉक्साइट उत्पादन में 9.64 लाख टन के साथ चौथा स्थान है ।

(5) छत्तीसगढ़

- ✓ यह राज्य भारत में बॉक्साइट उत्पादन में 6.18 प्रतिशत (6.40 लाख टन) के साथ पाँचवें स्थान पर है ।
- ✓ यहाँ भारत के सर्वाधिक बॉक्साइट खनिज के निक्षेप पाये जाते हैं ।
- ✓ यहाँ सरगुजा , रायगढ़ , महासमर , कोरबा , राजनन्द गाँव तथा विलासपुर प्रमुख उत्पादक जिले हैं । यहाँ धातु की मात्रा 62 प्रतिशत तक है ।

(6) तमिलनाडु

- ✓ यह राज्य भारत में 2.74 प्रतिशत (2.64 लाख टन) बॉक्साइट उत्पादन के साथ छठा स्थान है ।
- ✓ यहाँ सलेम , मदुरै , नीलगिरि और कोयम्बटूर जिलों में बॉक्साइट प्राप्त होता है जिसमें बॉक्साइट की मात्रा 45 से 60 प्रतिशत तक पायी जाती है ।
- ✓ अन्य राज्य जम्मु के उधमपुर के पुंछ जिलें में एवं गोवा में बॉक्साइट पाया जाता है ।
- ✓ भारत में 62 प्रतिशत बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा एवं झारखण्ड से ही प्राप्त होता है ।
- ✓ भारत में 1947 में केवल दो छोटे एल्युमिनियम सन्द्रावक थे (अ) अलवाये (केरल) (ब) आसनसोल (पं. बंगाल)

- **अभ्रक**

- ✓ अभ्रक आग्नेय एवं कायान्तरित शैलों में सफेद गुलाबी और गहरे हरे रंगों में प्राप्त होता है ।
- ✓ यह कुछ लम्बी और 3 सेमी से । मीटर मोटी शिराओं में छोटे - छोटे टुकड़ों के रूप में पाया जाता है ।
- ✓ अभ्रक नम्य , हल्का , चमकीला , पारदर्शी , परतदार, विद्युतरोधी , कठोर और उच्च द्रवणांक क्षमता वाला होता है।
- ✓ विद्युतरोधी एवं उच्च वॉल्टेज , सहन क्षमता होने से इसका सर्वाधिक उपयोग विद्युत एवं इलेक्ट्रोनिक उद्योगों में होता हैं। इसके अतिरिक्त औषधि निर्माण , वायुयान , टेलीफोन , रेडियो , दूरदर्शन मोटर , वायर लेस , सजावट के सामान चश्में और भट्टियों की ईटें बनाने में किया जाता है ।

(1) आन्ध्र प्रदेश

- ✓ देश के कुल अभ्रक उत्पादन में राज्य का 72.56 प्रतिशत (883 टन) उत्पादन के साथ प्रथम स्थान है ।
- ✓ विशाखापट्टनम् कृष्णा पूर्वी और पं . गोदावरी खम्माम और अनन्तपुर प्रमुख उत्पादक जिले हैं । यहाँ हरे रंग का अभ्रक प्राप्त होता है ।
- ✓ नैल्लौर की अभ्रक अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात

(2) राजस्थान

- ✓ देश के कुल अभ्रक उत्पादन में 15.61 प्रतिशत (190 टन) योगदान के साथ दूसरे स्थान पर है ।
- ✓ भीलवाड़ा , उदयपुर , अजमेर , राजसमन्द मुख्य उत्पादक जिले हैं ।
- ✓ कुछ अभ्रक टोंक , अलवर , भरतपुर , डूंगरपुर आदि जिलों से भी प्राप्त होता है ।
- ✓ राजस्थान में उत्तम किस्म का हल्के हरे व गुलाबी रंग का अभ्रक प्राप्त होता है ।

(3) झारखण्ड व बिहार

- ✓ देश के उत्पादन में 11.83 प्रतिशत (144 टन) के साथ तीसरा स्थान है ।
- ✓ हजारी बाग , गया , कोडरमा , भागलपुर , मुंगेर , संथाल परगना प्रमुख उत्पादक जिले हैं ।
- ✓ यहाँ हल्के लाल रंग वाला उत्तम किस्म का अभ्रक निकाला जाता है जिसे बंगाल मणिक कहा जाता है ।
- ✓ कुछ अभ्रक सिंहभूमि और पालामऊ जिलों में भी निकाला जाता है ।

(4) तमिलनाडु

- ✓ यहाँ तिरुनलवेली , कोयम्बटूर , तिरुचरापल्ली और मदुरै प्रमुख उत्पादक जिले हैं ।
- ✓ अन्य राज्य केरल में नय्यूर , पुन्नालूर , अलप्पी और क्विलोन उड़ीसा में देकनाल , सम्बलपुर , कोरापुट , कटक , गंजाम, कर्नाटक में हसन और मैसूर , छत्तीसगढ़ के बस्तर , पं . बंगाल में बाँकुड़ा और मिदनापुर तथा हरियाणा में गुडगाँव जिले में अभ्रक निकाला जाता है ।
- ✓ भारत में विश्व का 80 प्रतिशत अभ्रक निकाला जाता है ।
- ✓ इसलिए अभ्रक उत्पादन में भारत का एकाधिकार है।

ऊर्जा संसाधन (Energy Resources)

ऊर्जा के स्त्रोत (source of Energy)

ऊर्जा उत्पादन के अनेक स्त्रोत हैं, जिन्हें ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्त्रोतों में वर्गीकृत किया जाता है ।

- **ऊर्जा के परंपरागत स्त्रोत**

परंपरागत ऊर्जा स्त्रोत से तात्पर्य वैसे स्त्रोतों से है जो लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं / जैविक अवशेष व जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो प्रमुख स्त्रोत हैं / इसके अंतर्गत सम्मिलित ऊर्जा हैं/

1. खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस
2. जैविक अवशेष

- केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि **संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। लेकिन संसद को आधारभूत ढांचे में संशोधन करने का अधिकार नहीं है।**
- इसके बाद संसद में ४२ वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन किया और निम्नलिखित शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा–
  1. समाजवादी
  2. पंथनिरपेक्ष
  3. अखंडता

प्रस्तावना का महत्व

- प्रस्तावना उस आधार भूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं।
- सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा **'संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है।'**
- **के. एम मुंशी ने कहा 'प्रस्तावना' हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है।**
- ठाकुर नाथ भार्गव ने कहा **"प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है।"**

संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना

- बेरुवाड़ी संघ मामले 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना।
- केशवानन्द भारती मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है।
- LIC ऑफ इण्डिया मामला 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा बताया।

प्रस्तावना से सम्बन्धित दो उल्लेखनीय बातें

(i) प्रस्तावना न तो विधायिका **की** शक्ति का स्त्रोत है न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाने वाला।
(ii) यह गैर न्यायिक है।

प्रस्तावना में संशोधन की संभावना

प्रस्तावना में केवल एक बार 42 वें संविधान के तहत 1976 में संशोधन किया।

अध्याय – 5

मौलिक अधिकार

मोलिक अधिकार (भाग -3)(art 12-35)

- समानता का अधिकार (Art- 14-18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (Art 19-22)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (Art 23-24)
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Art 25-28)
- सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार (Art 29-30)
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Art 32)
- अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर बाकी अधिकार आपात काल में स्थापित हो जाते हैं।
- मौलिक अधिकारों की अवधारणा को U.S.A(अमेरिका) से अपनाया गया है।

समता का अधिकार :- (अनु. 14-18)

➢ **विधि के समक्ष समता (art -14)-**
विधी के समक्ष समता की अवधारणा ब्रिटेन से प्रभावित हैं। इसका अर्थ है कि सभी व्यक्तियों के लिए एकसमान कानून होगा तथा उन पर एकसमान लागु होगा।

➢ **धर्म ,नस्ल ,जाति ,लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेद(art -15)-**
राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, वेश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नही करेगा। यह व्यवस्था राज्य और व्यक्ति दोनों पर समान रूप से लागू होती हैं।

➢ **लोक नियोजन के सम्बन्ध में अवसर की समता (अनु०-16)-** राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।

➢ **अस्पृश्यता का उन्मूलन (अनु.-17)-**
संविधान के अनु० 17 में यह प्रावधान है कि अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और किसी भी रूप में अस्पृश्यता को बढ़ावा देना दण्डनीय अपराध होगा।

➢ **उपाधियों का अंत (अनु. 18)-** राज्य सेवा या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जायेगी।
➢ भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है।

स्वतन्त्रता का अधिकार(अनु० 19-22) :-

➢ **वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता(अनु. 19):-**मूल संविधान में सात तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। अब सिर्फ छह हैं।

1.	art 19 (a)	बोलने की स्वतंत्रता /प्रेस की स्वतंत्रता
2.	art 19 (b)	शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता
3.	art 19 (c)	संघ बनाने की स्वतंत्रता
4.	art 19 (d)	देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता
5.	art 19 (e)	देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता
6.	art 19 (g)	कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता

- art 19 (f) सम्पति का अधिकार ,44 वाँ संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया।

अपराधो के सम्बन्ध में अथवा दोष सिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण(अनु. -20):-

इसमें प्रावधान हैं कि –

- किसी व्यक्ति को तब तक किसी अपराध के सम्बन्ध में दोषी नही ठहराया जायेगा जब तक उसने किसी प्रचलित विधि का उल्लंघन नही किया हो ।
- किसी व्यक्ति को वही दण्ड दिया जायेगा जो अपराध करते समय लागू। अर्थात बाद में बनाई गई विधी के अनुसार व्यक्ति को दण्डित नही किया जायेगा । लेकिन ये केवल आपराधिक मामलों पर ही लागू होता है। सिविल मामलो के संबंध में अपराध के बाद बनाई गई विधि के अनुसार व्यक्ति को दण्डित किया जा सकता।
- (कर चोरी, दिवालिया होना या किसी प्रकार के दिवानी से सम्बंधित प्रावधान)
- किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दण्डित किया जायेगा।
- किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति की स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के बाध्य नही किया जाएगा।

प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का सरंक्षण (अनु० 21) :-

- इसमे प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता से विधी के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा।
- सर्वोच्च न्यायालय में अनु. 21 को समय-समय पर अधिक से अधिक प्रसारित किया। वर्तमान समय में इसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल हो चुके है –

1. निजता का अधिकार।
2. स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार।
3. मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार।
4. दुर्घटना के समय प्राथमिक उपचार का अधिकार ।
5. निः शुल्क कानूनी सहायता का अधिकार ।
6. हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार ।
7. सूचना का अधिकार ।
8. कारावास में अकेले बंद करने के विरुद्ध अधिकार ।
9. देरी से फांसी के विरुद्ध अधिकार ।
10. फ़ोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार ।
11. विदेश यात्रा की अधिकार
12. नींद का अधिकार

शिक्षा का अधिकार :- (अनु.21-क)

86 वें संविधान संशोधन अधि. - 2002 के माध्यम से इसे संविधान में जोड़ा गया। इसमें प्रावधान है कि राज्य 6-14 आयु वर्ग के बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा।

इसके संबंध राज्य विधि बनाकर शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसी प्रावधान के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया। जिसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया।

अनु० 22 :- निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण :-इसके तहत व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं –

- गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना होगा ।
- गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी पसंद के वकील से परामर्श ले सकता है।
- गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायिक अधिकारी (मजिस्ट्रेट) के सामने प्रस्तुत करना होगा। इन 24 घंटो में यात्रा का समय शामिल नही होगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी निवारक निरोध के तहत की जाती है तो उपर्युक्त अधिकार प्राप्त नहीं है। निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति तीन माह तक मजिस्ट्रेट सामने प्रस्तुत की आवश्यकता नहीं है।
- अनु.22 से सम्बंधित अधिकार किसी विदेशी को भी प्राप्त नही होते ।

मानव व्यापार एवं बलात् श्रम पर प्रतिबन्ध (अनु. 23)

- मानव दुर्व्यव्यापार से आशय है। महिला पुरुष बच्चो की वस्तुओं के समान खरीद अथवा बिक्री करना।
- इसमें देह व्यापार के लिए क्रय विक्रय अथवा शरीर के अंगो के क्रय विक्रय आदि को भी शामिल किया जाता है ।
- इसी प्रकार किसी व्यक्ति से बलात् श्रम नही करवाया जा सकता । बलात् श्रम से आशय है, व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य करवाना।

बाल श्रम का प्रतिषेध (अनु. 24)

- 14 से 18 वर्ष की आयु के किसी बालक को कारखानों या अन्य किसी जोखिम वाले कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता।

- **धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 25-28):-**
- अंतः करण की और धर्म को मानने ,आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता (अनु. 25)
- अनु. 25 में यह भी प्रावधान है कि कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म का मुख्य अंग माना जाएगा।

4.	गोपाल स्वरूप पाठक	1969-1974
5.	बी. डी. जत्ती	1974-1979
6.	न्यायमूर्ति मो.हिदायतुल्ला	1979-1984
7.	आर. वेंकटरमण	1984-1987
8.	डॉ. शंकर दयाल शर्मा	1987- 1992
9.	के. आर. नारायण	1992- 1997
10.	कृष्णकांत	1997- 2002
11.	भैरो सिंह शेखावत	2002-10.08.2007
12.	हामिद अंसारी	11.08.2007-11.08.2017
13.	एम. वेंकैया नायडू	11.08.2017---

- उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉ. एस. राधाकृष्णन सोवियत संघ में राजदूत थे।
- राज्य सभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है।
- भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने सम्बन्धी प्रस्ताव केवल राज्य सभा में लाया जा सकता है।
- उपराष्ट्रपति का वेतन भारत भारत की संचित निधि पर भारित होता है।

अध्याय – 16

भारतीय संसद

संघीय विधानमंडल (संसद)

- भारतीय संविधान के अनु. 79 के अनुसार संसद के तीन अंग होते हैं - राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा
- भारतीय संसद की संप्रभुता न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है।
- संसद में स्थगन प्रस्ताव (adjournment motion) लाने का उद्देश्य सार्वजनकि महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है।

संसद से सम्बंधित अनुच्छेद	
अनु.	सम्बंधित विषय – वस्तु
79	संसद का गठन
80	राज्य सभा की सरंचना
81	लोक सभा की सरंचना
82	प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन
83	संसद के सदनों की अवधि
84	संसद की सदस्यता के लिए अर्हता
85	संसद के सत्र सत्रावसान एवं विघटन
86	राष्ट्रपति का सदनों को सम्बोधित तथा उनको संदेश देने का अधिकार
87	राष्ट्रपति का विशेष सम्बोधन अभिभाषण
88	सदनों के सम्बंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार
89	राज्य सभा का सभापति तथा उपसभापति
90	राज्य सभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्याग तथा पद से हटाया जाना।
91	सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति
92	जब राज्य सभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना
93	लोक सभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष
94	लोक सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना
95	लोक सभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोक सभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति
96	जब लोक सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना।
97	सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन-भत्ते
98	संसद का सचिवालय
99	सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

100	दोनों सदनों में मतदान, रिक्तयों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति
101	स्थानों का रिक्त होना
102	संसद की सदस्यता के लिए निरर्हताएं
103	सदस्यों की अयोग्यता से सम्बंधित प्रश्नों पर निर्णय
104	अनु. 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अर्हत न होते अथवा निरर्हत किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड ।

लोकसभा (art-81)

- लोकसभा को निम्न सदन / प्रथम सदन / अस्थाई सदन / लोकप्रिय सदन कहते हैं।
- प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल, 1952 को हुआ था।
- अनच्छेद 81 तथा 331 लोकसभा के गठन से संबंधित है ।
- लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं । इनमें से 530 सदस्य राज्यों से जबकि केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य चुने जाते हैं जबकि 2 आंग्ल भारतीय सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं ।
- लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 से इनमें से 530 सदस्य राज्यों से जबकि 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं जबकि 2 आंग्ल भारतीय सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
- 91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में प्रावधान किया गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 सन् 2026 तक बनी रहेगी।
- लोकसभा का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक से अगले 5 वर्ष तक होती है।
- ***लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी आवश्यक हैं:***
  - वह भारत का नागरिक हो ।
  - उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो ।
  - वह संघ सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो (सरकारी नौकरी में न हो)
  - वह पागल / दिवालिया न हो ।
- लोकसभा - अध्यक्ष का कार्यकाल पाँच वर्ष होता है,
- किन्तु अपने पद से वह स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकता है अथवा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उसे हटाया जा सकता है।
- 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1989 के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला नागरिक लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए वयस्क माना जाएगा।
- लोकसभा विघटन की स्थिति में 6 मास से अधिक नहीं रह सकती।
- लोकसभा का गठन अपने प्रथम अधिवेशन की तिथि से पाँच वर्ष के लिए होता है।
- लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के पहले भी किया जा सकता है।
- क्योंकि लोकसभा के दो बैठकों के बीच का समयान्तराल 6 मास से अधिक नहीं होना चाहिए।
- लोकसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जा सकती है।
- आपात उदघोषणा की समाप्ति के बाद 6 माह के अन्दर लोकसभा का सामान्य चुनाव कराकर उसका गठन आवश्यक है।
- लोकसभा का अधिवेशन 1 वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए
- अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन, राज्यसभा एवं लोकसभा को आहुत करने, उनका सत्रावसान करने तथा लोकसभा का विघटन करने का अधिकार प्राप्त है।
- लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख पदाधिकारी होता है और लोकसभा की सभी कार्यवाहियों का संचालन करता है -
- लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है।
- लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति निश्चित करता है।
- लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है।
- लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकारी अध्यक्ष शपथ ग्रहण कराता है।
- आगामी लोकसभा चुनाव के गठन के बाद उसके प्रथम अधिवेशन की प्रथम बैठक तक अपने पद पर बना रहता है। लोकसभाध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे देता है।

राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या

1. उत्तर प्रदेश	80
2. महाराष्ट्र	48
3. पश्चिम बंगाल	42
4. बिहार	40
5. तमिलनाडु	39
6. मध्य प्रदेश	29
7. कर्नाटक	28
8. गुजरात	26
9. राजस्थान	25
10. आंध्र प्रदेश	25
11. ओडिशा	21
12.केरल	20
13. तेलंगाना	17
14. असम	14
15. झारखण्ड	14
16. पंजाब	13
17. छत्तीसगढ़	11

प्राथमिक क्षेत्र

- कृषि , वानकी , मत्स्य , खनन

द्वितीयक क्षेत्र

- निर्माण एवं विनिर्माण

तृतीयक क्षेत्र

- व्यापार , परिवहन , संचार , बैंक , बीमा , वास्तविक जायदाद, सामाजिक सामुदायिक सामुदायिक एवं वैयक्तिक सेवाएँ ।
- योजनाकाल के इतने वर्षों के बाद राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम हुआ है तथा द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों का योगदान बढ़ा है।

हरित राष्ट्रीय आय (Green National Income , GNI)

- हरित राष्ट्रीय आय की गणना में वर्ष में वस्तुओं एवं शुद्ध उत्पादन के योग में से उत्पादन की प्रक्रिया में देश के पर्यावरण और पारिस्थितिकी को जो क्षति
- पहुँचती है , उसके मौद्रिक मूल्य को कम कर दिया जाता है।

हरित GDP (Green GDP)

- हरित GDP का अर्थ है- पर्यावरणीय परिणामों के साथ आर्थिक विकास सूचकांक तैयार करना । हरित सूचकांक बताता है कि आर्थिक विकास के लिए किसी देश ने अपनी जैव - विविधता को कितना नुकसान पहुँचाया अथवा उससे पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ा ।
- हरित GDP की गणना सकल घरेलू उत्पाद में से शुद्ध प्राकृतिक पूंजी की खपत के (जिसमें संसाधनों में आई कमी , पर्यावरण क्षरण एवं पर्यावरणीय संरक्षात्मक पहल शामिल होती है) मौद्रिक मूल्य को घटाकर की जाती है ।

हरित जीएनपी (Green GNP)

- एक दी हुई समयावधि में प्रति व्यक्ति उत्पादन की वह अधिकतम सम्भावी मात्रा है , जो कि देश की प्राकृतिक सम्पदा को स्थिर बनाए रखते हुए प्राप्त की जा सकती है ।
- वर्ष 1995 में हरित GNP की अवधारणा का प्रारम्भ किया गया एवं इसमें अभी तक 192 देशों को शामिल किया गया है । [हरित GNP कुल वृद्धि - प्राकृतिक (पर्यावरणीय) ह्रास]

हरित सूचकांक (Green Index)

- विश्व बैंक ने देश की सम्पत्ति के आंकलन का एक नया सूचकांक विकसित किया है । इसके अन्तर्गत इसके प्रत्येक तीन अंगों उत्पादित सम्पत्ति , प्राकृतिक सम्पदा और मानव संसाधन के आधार पर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है।
- इस सूचकांक का विकास वर्ष 1995 में हुआ ।

भारत में राष्ट्रीय आय की गणना

- भारतीय राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान वर्ष 1868 में दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक ' पॉवटी एण्ड अनब्रिटिश रूल इन इण्डिया ' में लगाया था ।
- इसके अतिरिक्त शाह और खम्बत , फिण्डले शिराज , वाडिया एवं जोशी आदि ने भी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था ।
- इन लोगों ने गणना के लिए कृषि क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य प्राप्त कर इसमें एक निश्चित प्रतिशत कृषि भिन्न क्षेत्र (Non- agri cultural Sector) के भाग के रूप में जोड़ दिया था । इन अनुमानों की मान्ताओं का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था ।
- वर्ष 1931-32 में डॉ . वी . के . आर . वी . राव ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की तथा राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया । इसी कारण राव को " राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक " माना जाता है ।
- डॉ राव ने उत्पादन गणना प्रणाली (Calculation of Pro duction Method) और आय - गणना प्रणाली के सम्मिश्रण का प्रयोग किया था ।
- स्वतंत्रता पूर्व काल में उपलब्ध आँकड़ों की विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए डॉ . राव का अनुमान सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है । राष्ट्रीय आय समिति और केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (Central Statistical Organisation) ने डॉ . राव की पद्धति में कुछ संशोधन कर उसे स्वीकार कर लिया ।

हिन्दू वृद्धि दर (Hindu Growth Rate)

- हिन्दू वृद्धि दर का तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय अथवा वास्तविक वृद्धि दर से संबंधित है ।
- हिन्दू वृद्धि दर अवधारणा के प्रतिपादक प्रो . राज कृष्ण थे ।
- आर्थिक सुधारों के आरम्भ होने से पूर्व 1950 के दशक के मध्य भारत की वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर 3.5% थी , इस वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर को ही हिन्दू वृद्धि दर कहा गया।
- वर्ष 1950-80 के बीच यह वृद्धि दर 3 से 4 % तक रही । पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरुण शौरी ने इस 3 से 4 % वार्षिक वृद्धि दर को समाजवादी वृद्धि दर कहा ।
- वर्ष 1991 में अपनाए गए उदारीकरण की नीति के पशचात् भारत इस वृद्धि दर से बाहर निकलने में सफल रहा ।

राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ

- राष्ट्रीय आय से संबंधित भारत के महत्त्वपूर्ण संगठन निम्नलिखित हैं –

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (Central Statistical Organisation) :

✓ 4 अगस्त , 1949 को केन्द्रीय सरकार द्वारा कलकत्ता स्थित इण्डियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के प्रो . पी . सी . महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति नियुक्त की , जिसकी अनुशंसा पर राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का ढाँचा व केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (CSO) की स्थापना की गई।

✓ केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (CSO) की स्थापना की घोषणा वर्ष 1949 में की गई । इसका मुख्यालय नई दिल्ली

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से विभिन्न परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें - ⬇ (Proof Video Link)

RAS PRE. 2021 - https://shorturl.at/qBJ18 (74 प्रश्न , 150 में से)

RAS Pre 2023 - https://shorturl.at/tGHRT (96 प्रश्न , 150 में से)

UP Police Constable 2024 - http://surl.li/rbfyn (98 प्रश्न , 150 में से)

Rajasthan CET Gradu. Level - https://youtu.be/gPqDNlc6URO

Rajasthan CET 12th Level - https://youtu.be/oCa-CoTFu4A

RPSC EO / RO - https://youtu.be/b9PKjl4nSxE

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD - 2021 - https://youtu.be/2gzzfJyt6vI

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
MPPSC Prelims 2023	17 दिसम्बर	63 प्रश्न (100 में से)
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
RAS Mains 2021	October 2021	52% प्रश्न आये

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

RAS Pre. 2023	01 अक्टूबर 2023	96 प्रश्न (150 मेंसे)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)
UP Police Constable	17 February 2024 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

Our Selected Students

Approx. 483+ students selected in different exams. Some of them are given below -

Photo	Name	Exam	Roll no.	City
	Mohan Sharma S/O Kallu Ram	Railway Group - d	114195120370022	PratapNagar Jaipur
	Mahaveer singh	Reet Level- 1	1233893	Sardarpura Jodhpur
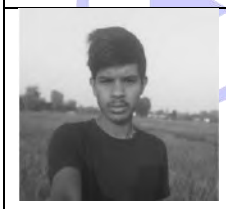	**Sonu Kumar Prajapati S/O Hammer shing prajapati**	SSC CHSL tier-1	2006018079	Teh.- Biramganj, Dis.- Raisen, MP
N.A	**Mahender Singh**	EO RO (81 Marks)	N.A.	teh nohar , dist Hanumangarh
	Lal singh	EO RO (88 Marks)	13373780	Hanumangarh
N.A	**Mangilal Siyag**	SSC MTS	N.A.	ramsar, bikaner

FREE SAMPLE

	MONU S/O KAMTA PRASAD	SSC MTS	3009078841	kaushambi (UP)
	Mukesh ji	RAS Pre	1562775	newai tonk
	Govind Singh S/O Sajjan Singh	RAS	1698443	UDAIPUR
	Govinda Jangir	RAS	1231450	Hanumangarh
N.A	**Rohit sharma s/o shree Radhe Shyam sharma**	RAS	N.A.	Churu
	DEEPAK SINGH	RAS	N.A.	Sirsi Road , Panchyawala
N.A	**LUCKY SALIWAL s/o GOPALLAL SALIWAL**	RAS	N.A.	AKLERA , JHALAWAR
N.A	**Ramchandra Pediwal**	RAS	N.A.	diegana , Nagaur

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Monika jangir	RAS	N.A.	jhunjhunu
	Mahaveer	RAS	1616428	village-gudaram singh, teshil-sojat
N.A	**OM PARKSH**	RAS	N.A.	Teshil-mundwa Dis- Nagaur
N.A	**Sikha Yadav**	High court LDC	N.A.	Dis- Bundi
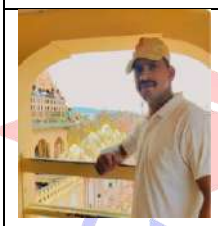	**Bhanu Pratap Patel s/o bansi lal patel**	Rac batalian	729141135	Dis.- Bhilwara
N.A	**mukesh kumar bairwa s/o ram avtar**	3rd grade reet level 1	1266657	JHUNJHUNU
N.A	**Rinku**	EO/RO (105 Marks)	N.A.	District: Baran
N.A.	**Rupnarayan Gurjar**	EO/RO (103 Marks)	N.A.	sojat road pali
	Govind	SSB	4612039613	jhalawad

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Jagdish Jogi	EO/RO (84 Marks)	N.A.	tehsil bhinmal, jhalore.
	Vidhya dadhich	RAS Pre.	1158256	kota
	Sanjay	Haryana PCS	96379	Jind (Haryana)

And many others.....

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

WhatsApp करें - https://wa.link/we22vv

Online Order करें - https://shorturl.at/tDOY8

Call करें - 9887809083

FREE SAMPLE